प्रेस विज्ञप्ति

28.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने 25/11/2025 को माननीय प्रधान और सत्र न्यायाधीश (नामित विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जम्मू की अदालत के समक्ष अब्दुल मोमिन पीर और उनकी पत्नी सैयद सदफ अंद्राबी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। सभी आरोपियों को 12/12/2025 के लिए नोटिस जारी किया गया है।

ईडी ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 82 (1) के तहत हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में पंजीकृत प्रारंभिक एफआईआर संख्या 183/2020 के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और इसे 23.06.2020 (RC-032020NIAJMU) को आईपीसी, 1860, एनडीपीएस अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत ड्रग तस्करी/तस्करी और टेरर फंडिंग से संबंधित गतिविधियों के लिए फिर से पंजीकृत किया। इसके बाद, एनआईए द्वारा अब्दुल मोमिन पीर और अन्य 13 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र और पूरक आरोप-पत्र भी दायर किए गए हैं।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपियों में से एक अब्दुल मोमिन पीर को 2017 से जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हेरोइन जैसे मादक पदार्थ के साथ दो बार गिरफ्तार किया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि वह मादक दवाओं के अवैध कारोबार में सक्रिय रूप से शामिल था और उसने इससे भारी मात्रा में धन अर्जित किया है। इसके अलावा, जांच के दौरान यह भी पता चला कि उसे हेरोइन जैसे तस्करी किए गए मादक पदार्थों को बेचने के लिए और तस्करी किए गए मादक पदार्थों के परिवहन शुल्क के रूप में अन्य आरोपियों से उसके बैंक खातों में लगभग 2.15 करोड़ रुपये मिले थे। उपरोक्त आरोपी व्यक्ति ने उक्त अपराध से प्राप्त आय से 1.5 करोड़ रुपये की राशि पर प्लॉट नंबर 79, एचआईजी कॉलोनी, बेमिना, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में अपनी पत्नी, सैयद सदफ अंद्राबी के नाम पर एक आवासीय संपत्ति खरीदी।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई जांच से पता चला कि अब्दुल मोमिन पीर ड्रग्स (हेरोइन) की तस्करी, परिवहन और बिक्री जैसे अपराध को करने और उससे प्राप्त आय को उत्पन्न करने और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल था। उसने आगे इन अवैध लाभों को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने की कोशिश की, यह घोषणा करते हुए कि यह व्यवसाय गतिविधि से उत्पन्न हुआ है और उक्त अवैध आय का उपयोग अपनी पत्नी, सैयद सदफ अंद्राबी के नाम पर अचल संपत्ति प्राप्त करने के लिए किया। इस प्रकार, अब्दुल मोमिन पीर और उसकी पत्नी, सैयद सदफ अंद्राबी को अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में सीधे तौर पर शामिल पाया गया, अर्थात् पीढ़ी, कब्जे, छिपाने और उपयोग और इसे बेदाग के रूप में पेश करने या दावा करने के लिए पाया गया और इस प्रकार दोनों पीएमएलए की धारा 3 के तहत वर्णित अपराध के दोषी थे, इसलिए पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडित किए जाने योग्य हैं।

इस मामले में पहले ही ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति के संबंध में 1.5 करोड़ रुपये की कुर्की का आदेश जारी किया जा चुका है।

आगे की जांच जारी है।